

## राजस्थान आवासन मण्डल

### आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अर्न्तगत पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा के मण्डल कार्मिक हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2022 के तहत दिनांक 21.10.2022 से 19.11.2022 तक प्राप्त मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग के पंजीकरण आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों की वरीयता निर्धारण लॉटरी एवं शाहपुरा योजना में उपलब्ध आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 3 योग्य आवेदकों को आवास नम्बर आवंटन लॉटरी जिला आवंटन समिति, भीलवाड़ा द्वारा कम्प्युटर रेण्डम प्रणाली से दिनांक 26.05.2023 दोपहर 2.00 बजे से कार्यालय आवासीय अभियंता, सी-सेक्टर, आर.के. कॉलोनी कार्यालय, खण्ड- भीलवाड़ा भवन में निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न की जाएगी।

क्र.सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम व स्थान	दिनांक/समय
1	योग्य/अयोग्य आवेदकों की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	18.05.2023 सायं 3.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	24.05.2023 सायं 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	25.05.2023 सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	26.05.2023 सायं 2.00 बजे से

नोट :- 1. यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 3. अस्थाई सूची व स्थाई सूची एवं वरीयता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी। 4. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।